मसौदा निदेश के लिए प्राप्त प्रमुख प्रतिक्रिया पर विवरण

विषय: ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का नवीयन

1. धारा 1: लघु शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता

(ए) पैरा 1(ii): ये निदेश शासी निदेशों के प्रावधानों के अनुसार किए गए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदाओं पर लागू होंगे।

प्रतिक्रिया: स्पष्टीकरण मांगा गया कि (i) क्या ये निदेश मौजूदा बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं पर लागू होंगे; और (ii) इन निदेशों के जारी होने से पहले किए गए मौजूदा नवीयन समझौतों को एफआईएमएमडीए/ एफईडीएआई द्वारा निर्धारित मानक करार के अनुसार पुनर्निष्पादित करने की आवश्यकता है या नहीं।

आरबीआई टिप्पणियां:

स्वीकार किया गया। यह स्पष्ट किया गया है कि ये अनुदेश उन ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के नवीयन पर लागू होंगे जो इन संशोधित निदेशों के जारी होने की तारीख से या उसके बाद किए जाते हैं। ये निदेश उन ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के नवीयन पर लागू होंगे जो निदेशों के जारी होने की तारीख को बकाया हैं, और उन संविदाओं के नवीयन पर भी लागू होंगे जो निदेशों के जारी होने के बाद किए जाते हैं।

(बी) पैरा 1(ii) का प्रावधान: ये निदेश उन ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के नवीयन पर लागू नहीं होंगे जो (i) एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) द्वारा ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के निपटान के उद्देश्य से किए जाते हैं; या (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत या किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य तरीके से मंजूर या पुष्टि किए गए विलय/ विलगाव/ समामेलन की योजना के अनुसार किए जाते हैं।

प्रतिक्रिया: स्पष्टीकरण मांगा गया कि (i) क्या सीसीपी द्वारा निपटान के उद्देश्य से किए गए ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के नवीयन के बाद किया गया कोई अनुवर्ती नवीयन इन निदेशों के तहत आएगा या नहीं; (ii) यदि विलय/ विलगाव/ समामेलन के कारण किए गए नवीयन करारों पर ये निदेश लागू नहीं हैं, तो ऐसे नवीयन करारों के लिए किन निदेशों का पालन किया जाएगा।

आरबीआई टिप्पणियां:

(i) स्वीकार किया गया। ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के नवीयन के लिए अनुदेश सीसीपी द्वारा निपटान के उद्देश्य से किए गए नवीयन पर लागू नहीं होंगे। सीसीपी द्वारा निपटान के लिए स्वीकृत किसी भी ओटीसी डेरिवेटिव संविदा का अनुवर्ती नवीयन इन अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। सीसीपी को शामिल करने के लिए संबंधित निदेशों में शेष पक्षकार की परिभाषा को विस्तारित किया गया है।

(ii) स्वीकार किया गया। विलय/ विलगाव/ समामेलन की योजना के अनुसार ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन का नवीयन 9 दिसंबर 2013 के 'ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का नवीयन' संबंधी परिपत्र के अनुसार किया जाता रहेगा। यह संबंधित निदेशों में नवीयन की परिभाषा में निर्दिष्ट किया गया है।

2. धारा 2: परिभाषा

(ए) पैरा 2(आई)(ई): 'मार्केट-मेकर' का अर्थ वही होगा, जैसा कि दिनांक 16 सितंबर 2021 के तथा समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट-मेकर) निदेश, 2021 के पैरा 2.1(xviii) में निर्धारित किया गया है।

प्रतिक्रिया: सुझाव दिया गया कि मार्केट मेकर की परिभाषा को ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के लिए संबंधित शासी निदेशों से जोड़ा जाए।

आरबीआई टिप्पणियां: स्वीकार किया गया। ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के नवीयन के लिए अनुदेश संबंधित शासी निदेशों में शामिल किए गए हैं।

(बी) पैरा 2(आई)(एफ): 'नवीयन' का अर्थ दो प्रतिपक्षकारों (हस्तांतरणकर्ता, जो मौजूदा सौदे से बाहर निकलता है, और शेष पक्षकार) के बीच ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन में एक मार्केट मेकर को दूसरे मार्केट मेकर से प्रतिस्थापित होता है, जिससे शेष पक्षकार और तीसरे पक्षकार (हस्तांतरी) के बीच एक नई संविदा बनती है।

प्रतिक्रिया: अनुरोध किया गया कि उस ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के नवीयन की अनुमति दी जाए, जहां हस्तांतरणकर्ता एक उपयोगकर्ता है, और हस्तांतरी हस्तांतरणकर्ता का केंद्रीय राजकोष/ समूह संस्था है।

आरबीआई टिप्पणियां: स्वीकार नहीं किया गया। ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार एक मार्केट मेकर या रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत केंद्रीय प्रतिपक्षकार होना चाहिए। तदनुसार, जहां हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी दोनों उपयोगकर्ता हैं, ऐसे ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के नवीयन की अनुमति नहीं दी गई है।

(सी) पैरा 2(आई)(एच): 'शेष पक्षकार' नवीयन में वह उपयोगकर्ता है जो नए संविदा में नवीयन के बाद भी एक पक्षकार बना रहता है।

प्रतिक्रिया: स्पष्टता मांगी गई कि i) क्या एक मार्केट मेकर शेष पक्षकार हो सकता है; ii) क्या एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार अनाम प्लेटफॉर्म पर या सीसीपी द्वारा निपटान और समापन के लिए स्वीकृत लेनदेन के लिए शेष पक्षकार हो सकता है।

आरबीआई टिप्पणियां: स्वीकार किया गया। यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक मार्केट मेकर या केंद्रीय प्रतिपक्षकार शेष पक्षकार हो सकता है, 'शेष पक्षकार' की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

3. धारा 3: नवीयन करने के लिए दिशानिर्देश और तंत्र

(ए) पैरा 3(आई)(ए): ओटीसी डेरिवेटिव संविदा का नवीयन शेष पक्षकार की पूर्व सहमति के साथ किया जाएगा।

प्रतिक्रिया: स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या अनाम प्लेटफॉर्म (जैसे ASTROID) पर किए गए ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के नवीयन के लिए सीसीपी की सहमति की आवश्यकता होगी, जहां सदस्य सीसीपी को प्रतिपक्षकार के रूप में मानते हैं, या नहीं।

आरबीआई टिप्पणियां: स्वीकार किया गया। यह प्रदर्शित करने के लिए कि सीसीपी भी शेष पक्षकार हो सकता है, 'शेष पक्षकार' की परिभाषा को संशोधित किया गया है। जहां सीसीपी शेष पक्षकार है, वहां ओटीसी डेरिवेटिव संविदा का नवीयन सीसीपी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(बी) पैरा 3(आई)(बी): नवीयन तिथि पर वर्तमान बाजार दर पर ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के मार्क-टू-मार्केट मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी के बीच आदान-प्रदान की जाएगी।

प्रतिक्रिया: स्पष्टीकरण मांगा गया कि ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के मार्क-टू-मार्केट मूल्य के बराबर राशि तत्काल या परिपक्वता तक विलंबित आधार पर आदान-प्रदान की जाएगी।

आरबीआई टिप्पणियां: स्वीकार किया गया। यह स्पष्ट किया गया है कि ओटीसी डेरिवेटिव के मार्क-टू-मार्केट के बराबर राशि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी के बीच तत्काल आदान-प्रदान की जाएगी।